न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 172/2020

1. जगदीश पुत्र धन्नाराम जाति नाई निवासी मलसीसर त0 भादरा।
2. पवन कुमार पुत्र धन्नाराम जाति नाई निवासी मलसीसर त0 भादरा।

:— वादीगण

ब ना म

1. धन्नाराम पुत्र ईश्वर जाति नाई निवासी मलसीसर त0 भादरा।
2. एसबीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री श्यामसुन्दर शर्मा : वादी
वकील श्री नरेन्द्र शर्मा : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 23/02/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा मलसीसर के खाता सं0 111/111 के खसरा सं0 316/1 की 2.630है0, खसरा सं0 341/1 की 2.276है0, खसरा सं0 611/1 की 11.079है0, खसरा सं0 693/1 की 1.315है0 कुल 17.300है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 धन्नाराम के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता ईश्वर की खातेदारी हुआ करती थी। ईश्वर से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 धन्नाराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। व प्रतिवादी सं 2 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया।। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु जगदीश [illegible]राम जाति नाई निवासी मलसीसर के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में [illegible] प्रति[illegible] जमाबंदी रोही मलसीसर खाता सं0 111/11 संवत 2071–74 [illegible] मलसीसर खाता सं0 693 संवत 2020 प्रदर्श 2, जमाबंदी रोही [illegible] संवत 2020 खाता सं0 311, 641[illegible] क्रमशः प्रदर्श 3, 4, 5 है, नामान्तरण सं0 870 दिनांक 17.12.2004 प्रदर्श 6, [illegible] रोही मलसीसर संवत 2063–66 खाता सं0 113/105 प्रदर्श 7, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मलसीसर 8 प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:33:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने मलसीसर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 8 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 8 में वारिसप्रमाण पत्र में धन्नाराम के दो पुत्र जगदीश व पवन कुमार के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मोजा मलसीसर के खाता सं0 111/111 के खसरा सं0 316/1 की 2.630है0, खसरा सं0 341/1 की 2.276है0, खसरा सं0 611/1 की 11.079है0, खसरा सं0 693/1 की 1.315है0 कुल 17.300है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 धन्नाराम के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा मलसीसर के खाता सं0 111/111 के खसरा सं0 316/1 की 2.630है0, खसरा सं0 341/1 की 2.276है0, खसरा सं0 611/1 की 11.079है0, खसरा सं0 693/1 की 1.315है0 कुल 17.300है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 धन्नाराम के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। में से वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं0 1 जगदीश, वादी सं0 2 पवन कुमार व प्रतिवादी सं0 1 धन्नाराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23-02-21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:33:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 172/2020

1. जगदीश पुत्र धन्नाराम जाति नाई निवासी मलसीसर त0 भादरा।
2. पवन कुमार पुत्र धन्नाराम जाति नाई निवासी मलसीसर त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. धन्नाराम पुत्र ईश्वर जाति नाई निवासी मलसीसर त0 भादरा।
2. एसबीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्यामसुन्दर शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री नरेन्द्र शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मलसीसर के खाता सं0 111/111 के खसरा सं0 316/1 की 2.630है0, खसरा सं0 341/1 की 2.276है0, खसरा सं0 611/1 की 11.079है0, खसरा सं0 693/1 की 1.315है0 कुल 17.300है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 धन्नाराम के नाम से 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं0 1 जगदीश, वादी सं0 2 पवन कुमार व प्रतिवादी सं0 1 धन्नाराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23-02-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.03.19 11:33:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner